पत्रावली आज बमुकाम अमर दिवायत, मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पेशी हुई। दोनों पक्ष बावजूद तामिल के कोई उपस्थित नहीं आये। अतः पत्रावली वापसी दिनांक 14/12/17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर बाड़

14.12.2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत पेश हुई। उभय पक्षकारगण उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना पत्र पर बहस की। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के अपारीकरण हेतु मांगा हल्याणे जाने पर प्रार्थी की अपूरणीय क्षति होगी उभय हस्तगत मामला सुविधा का सन्तुलन आदि बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है अतः अपारीकरण के विरुद्ध प्रार्थी की खातेदारी भूमि के लगा मोगा नहीं हल्याणे और हल अपारीगण का बाधा न डालने पाबन्द कर प्रार्थी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी फरमावे। जबकि अपारीगण ने. 34 प्रा पत्र में वर्णित तथ्यों का खारिज करते हुवे जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी बहस के दौरान कथन किया कि राजस्थान भूमि सुधार एवं अधिनियम 1954 की धारा 52 के तहत सेटे प्रकरणों का निस्तारण सिविल कोर्ट के जरिये किया जाता है प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र का नहीं है अतः प्रार्थी का प्रा पत्र सार हीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन के यह पाया गया कि प्रार्थी एवं अपारीगण के मध्य भूमि में लगे मोगा के हल्याणे जाने के संबंध में विवाद है प्रार्थी की खातेदारी भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है अतः प्रकरण में भूमि विवाद नहीं होने से घर प्रकरण न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र के संबंधित नहीं है ऐसी स्थिति में अतः प्रकरण में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है मिसल फैसल शुमार बेपर दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार डांगा)
उ.ख.अ.